बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

संoसंo–1/उoनिo आरोप–09/14

आदेश

श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर सम्प्रति जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर के द्वारा बिना सूचना के कार्यालय से दिनांक 27.11.13 से 24.02.14 तक अनुपस्थित रहने, कार्यालय आदेश का पालन नहीं करना एवं निर्गत पत्र अपने पास अनाधिकृत रूप से चालीस दिनों तक रखने आदि कारणों के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत उद्योग निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–3010 दिनांक–11.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक–1818 दिनांक 06.05.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री अनिल कुमार चौधरी, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर सम्प्रति जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उद्योग निदेशालय का पत्रांक–1976 दिनांक 25.05.2016 द्वारा श्री चौधरी को उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया। इस आलोक में श्री चौधरी से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री अनिल कुमार चौधरी, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर सम्प्रति जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 की कंडिका V में वर्णित निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) ''संचयी प्रभाव के बिना तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक''

अतः श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर सम्प्रति जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को उपरोक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक
संoसंo–1/उoनिo आरोप–09/14

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3853 /पटना, दिनांक 15.12.17
संoसंo–1/उoनिo आरोप–09/14

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर/समस्तीपुर एवं श्री अनिल कुमार चौधरी, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

D/Sec-1/Ravi/Ghanshyam J.. 918